

आदेश की क्रम
संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.A Case No. -16/2011-12
तुलिया देवी बनाम चिन्तामण राणा एवं अन्य।

आदेश

यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Rev.Misc. No-16/2006-07 में दिनांक-09.09.2011 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील है।

अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Rev.Misc. No-16/2006-07 में दिनांक-09.09.2011 को पारित आदेश द्वारा चिन्तामण राणा द्वारा दाखिल किये गये आवेदन के अनुसार तुलिया देवी द्वारा किया गया भुगतबंधा डीड तथ्य से विल्कुल परे एवं युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होने के कारण तुलिया देवी द्वारा किया गया भुगतबंधा डीड सं0-348, दिनांक-09.06.2006 को रद्द किया गया है।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 21 के तहत भुगतबंधा की समय सीमा पार हो चुकी थी। तदनुसार अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा द्वारा उनके वाद Rev.Misc. No-16/2006-07 में दिनांक-09.09.2011 को पारित आदेश त्रुटिपूर्ण नहीं था।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Rev.Misc. No-16/2006-07 में दिनांक-09.09.2011 को पारित आदेश यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Seen
6/2/24

Seen
6/2/24